

**POST GRADUATE DIPLOMA IN  
INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS/  
MASTER OF COMMERCE**

**Term-End Examination**

**June, 2016**

**IBO-04 : EXPORT - IMPORT  
PROCEDURES AND DOCUMENTATION**

*Time : 3 hours*

*Maximum Marks : 100*

*Weightage : 70%*

---

*Note : Answer both the Parts - A and B.*

---

**PART - A**

1. Comment on **any four** of the following : **4x5=20**
- Exchange control regulations in the exporting country are the most important consideration in determining terms of payment in export-import contracts.
  - All documents in export-import transactions have a legal perspective.
  - All parties in a letter of credit deal only in documents.
  - Imports under CIF contract is good for the importer.
  - ECCG, through its schemes, enhances the credit worthiness of the exports and exporters.
  - Advance licences under duty exemption scheme is a very useful instrument of export promotion.

## PART - B

Answer **any four** of the following questions.

2. Describe the regulatory framework of export-import business, describing the respective roles of various legislations and institutions. **20**
3. A letter of credit reconciles the conflicting interests of buyer and seller in an export contract. Explain the mechanism of letter of credit. **20**
4. What are the key elements of Electronic Data Interchange (EDI) ? Describe its advantages to exporters, giving suitable illustrations. **10+10**
5. What is export licensing ? What is its rationale ? Discuss the procedure and related documentation needed for obtaining a license. **5+5+10**
6. Discuss the procedure and related documentation for claiming drawback. Is it same for (a) export by sea or air, (b) export by post and (c) export by surface (land route) ? **20**
7. Write short notes on **any two** of the following : **10+10**
  - (a) Export Promotion Councils
  - (b) Supplier's and Buyer's Credit
  - (c) Port Procedures
  - (d) Bill of lading

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रचालन में स्नातकोत्तर  
डिप्लोमा/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि

सत्रांत परीक्षा

जून, 2016

आई.बी.ओ.-04 : निर्यात-आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

कुल का : 70%

नोट : खण्ड-क तथा ख दोनों कीजिए।

खण्ड-क

1. निम्नलिखित में से किन्हीं चार कथनों की समालोचना कीजिए : 4x5=20
- आयात-निर्यात अनुबंधों में भुगतान की शर्तें निर्धारित करने में निर्यातक देश के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियम अतीव महत्वपूर्ण घटक होते हैं।
  - आयात-निर्यात लेनदेनों से संबंधित सभी प्रलेखों का एक विधिक परिप्रेक्ष्य है।
  - साख पत्र से संबंधित सभी पक्षकार केवल प्रलेखों का ही लेनदेन करते हैं।
  - सी.आई.एफ. (CIF) अनुबंध के अंतर्गत किए जाने वाले आयात आयातकर्ता के लिए अच्छे होते हैं।
  - निर्यात साख गारंटी निगम (ECGC) अपनी योजनाओं द्वारा निर्यात एवं निर्यातकर्ताओं की उधार लेने की क्षमता में वृद्धि करता है।
  - शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अग्रिम लाइसेंस निर्यात संवर्धन का एक महत्वपूर्ण यंत्र हैं।

## खण्ड - ख

निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

2. विभिन्न अधिनियमों एवं संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए निर्यात-आयात व्यवसाय से संबंधित विधिक ढांचे का वर्णन कीजिए। 20
3. निर्यात अनुबंध में एक साख पत्र (letter of credit) क्रेता एवं विक्रेता के विरोधी हितों का समाधान करता है। साख पत्र के तंत्र (mechanism) की व्याख्या कीजिए। 20
4. ई.डी.आई. (इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज) के मूल तत्व क्या हैं? उचित उदाहरणों के साथ निर्यातकों को इसके लाभों का वर्णन कीजिए। 10+10
5. निर्यात लाइसेंस प्रणाली से क्या तात्पर्य है? इसका तर्काधार क्या है? लाइसेंस प्राप्त करने की प्रविधि तथा संबद्ध प्रलेखीकरण का विवेचन कीजिए। 5+5+10
6. शुल्क वापसी अधियाचित (claim) करने की प्रविधि तथा संबद्ध प्रलेखीकरण का विवेचन कीजिए। क्या यह (a) समुद्र या वायुमार्ग द्वारा निर्यात, (b) डाक द्वारा निर्यात, तथा (c) सतह (जमीन मार्ग) द्वारा निर्यात के लिए एक-सी ही है? 20
7. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 10+10
  - (a) निर्यात संवर्धन परिषदें
  - (b) सप्लायर तथा क्रेता साख
  - (c) पोर्ट प्रविधियाँ
  - (d) लदान बिल (Bill of lading)